



# कार्यालय नगर पालिका परिषद हरदा जिला हरदा (म.प्र.)



Email- moharda@mpurban.gov.in

https://nagarपालिकाहरदा.org

क्रमांक 2480/लोकनिर्माण/2026

conn. 07577222238

Toll free No 18002331353

हरदा दिनांक 14/5/26

// आनलाईन निविदा //

निम्न कार्यो हेतु निविदा वेबसाईड [www.mptender.gov.in](http://www.mptender.gov.in) निम्नानुसार निर्माण कार्य हेतु दरें आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर दिनांक 14/5/26 से 12/6/26 तक कय की जा सकती है। बीड सबमिट 12/6/26 समय 5:30 तक निविदा संशोधित होने की स्थिति में वेबसाईड पर ही देखा जा सकता है। विस्तृत निविदा सूचना आमंत्रण एवं अन्य जानकारी उक्त वेबसाईड पर देखी जा सकती है। निविदाओ में वित्तीय प्रस्ताव कार्य अनुबंध सेवा पर लागू जी.एस.टी. को छोडकर बुलाए जा रहे है। देयक प्रस्तुती के समय कार्य अनुबंध सेवा पर लागू जी. एस.टी.का भुगतान पृथक से अनुबंधकर्ता को किया जावेगा।

क.	एन आई टी नं.	टेण्डर नं.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर का विवरण	अनुमानित राशि रूपये		अमानत राशि रूपये	निविदा फार्म मूल्य रूपये	कार्य अवधि
1	2	3	4	5	6	PAC-7	GST-8	8	9	10
1	4940	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 पैरासिटी कॉलोनी में हरनारायण यादव जी के मकान से खले जी के मकान तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।	न.पा. निधि	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग आई. एस.एस.आर. दि.08.11. 2025 से प्रभावशील	2094636	377034	15710	5000	2 माह
2	4941	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 में इंदौर रोड़ से नागबाबू के मकान तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1056976	190255	7927	2000	2 माह
3	4942	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 पैरासिटी कॉलोनी में बिल्लौर जी के मकान से हनुमान मंदिर तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			2988957	538012	22417	5000	2 माह
4	4943	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 सुदामा नगर कॉलोनी में जगदीश गौर के मकान से सत्यनारायण झिंझोरे के मकान तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1541955	277551	11565	2000	2 माह
5	4944	04/05/26	वार्ड क्रमांक 32 कुंजबिहार कॉलोनी में बल्लू जी के मकान से जगदीश धार्मिक से राधेश्याम विश्वकर्मा से श्री यादव जी से धार्मिक के मकान तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1982569	356862	14870	2000	2 माह
6	4945	04/05/26	वार्ड क्रं. 25 में एस.एस.जी. बी. स्कूल के सामने गली नम्बर 01 मे सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1165792	209842	8743	2000	2 माह

02331353

772222389767

(स) 92/50/70


8 92/50/70  
2467

92/50/70  
8467

	वार्ड कं 17 श्यामा नगर कॉलोनी में मोहन राजपूत जी के मकान से लेकर गुड्डु दुबे जी के घर तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1347244	242504	10104	2000	2 माह
8	वार्ड कं 20 स्थित विवेकानंद कॉम्प्लेक्स पानी की टंकी के पास खाली मैदान पर पेवर ब्लॉक फिक्सिंग कार्य।			1599054	287829	11993	2000	2 माह
9	वार्ड कं 19-20 अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स (नई सब्जी मंडी) में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य।			1356138	244105	10171	2000	2 माह

शर्त :-

1. निविदा की वैधता खोले जाने की दिनांक 120 दिन तक की होगी।
2. निविदा प्रपत्र कय करने से पूर्व ठेकेदार को उचित श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति फर्म की होने की दशा में साझेदारी की डीड एवं पावर आफ एटार्नी की प्रति प्रस्तुत करना होगी।
3. अमानत राशि आनलाईन भुगतान द्वारा /डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या सिस्टम जनरेटेड चालान के माध्यम से जमा करना होगा।
4. निर्माण कार्य प्रॉक्कलन ड्राईंग-डिजाईन एवं संबंधित अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में नगर पालिका लोक निर्माण शाखा से ली जा सकती है।
5. म.प्र. नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम 2018 का नियम 217 (ख) अनुसार निविदाकारो से अनुबंध संपादन के समय 3 प्रतिशत निष्पादन राशि कार्य की अनुमानित लागत मूल्य की जमा कराई जाना होगी।
6. ठेकेदार का ई.पी.एफ.पंजीयन होना अनिवार्य है।
7. कार्य में जी.एस.टी. नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
8. अन्य शर्तें न.पा.के लोक निर्माण शाखा में कार्यालयीन समय पर देखी जा सकती है।
9. दरे 10 प्रतिशत आई.एस.एस.आर.से कम प्राप्त होने पर अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारन्टी जमा करवानी होगी।
10. 7 प्रतिशत सुरक्षा निधि प्रत्येक रनिंग देयक में से काटी जावेगी।
11. पृथक-पृथक देयको के पूर्व रॉयल्टी प्रस्तुत करना होगी।

  
मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद हरदा

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./रोड निर्माण/2026/ 3

नर्मदापुरम्, दिनांक - 9/4/26

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद् हरदा,  
जिला - हरदा।

विषय:- वार्ड क्र. 17 श्यामा नगर कालोनी में मोहन राजपूत जी के मकान से लेकर गुडडु दुबेजी के घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति।

संदर्भ:- Project Approval. PA-0318-26-000000003 Project No. PW1-EN2-0318-25-1138.

---//---

विषयान्तर्गत, प्रोजेक्ट अप्रूवल के द्वारा वार्ड क्र. 17 श्यामा नगर कालोनी में मोहन राजपूत जी के मकान से लेकर गुडडु दुबेजी के घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य प्राक्कलन का परीक्षण किया गया। निविदा लागत की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत निर्माण कार्य किया जावे। निर्माण कार्य की क्रस्ट व पेवमेन्ट डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलीटेक्निक कॉलेज से कराकर तद्नुसार कार्य कराया जावे। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें। परीक्षण उपरान्त MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 238 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क्र	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील SOR का विवरण	राशि (लाख में)
1	वार्ड क्र. 17 श्यामा नगर कालोनी में मोहन राजपूत जी के मकान से लेकर गुडडु दुबेजी के घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	न.पा. निधि/ अनुदान	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई.एस.एस.आर. दिनांक 08.11.2025 से प्रभावशील जी.एस.टी. 18%	13,47,244.00
			योग	2,42,504.00
				15,89,748.00

शर्तें

1. मध्यप्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. डामरीकरण के कार्य में लगने वाली सामग्री (मिक्स मटेरियल) की टेस्टिंग मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराने के साथ मिक्स मटेरियल के वजन की धर्मकांटे की रसीद ली जावे अथवा मडक के लेबल लिये जावे। प्रत्येक रनिंग देयक के साथ अधिकृत रिफायनरी के डामर के मूल बिल, रसीद अनिवार्य रूप से लिये जावे।
3. सी.सी.रोड निर्माण कार्य करने के पूर्व आई.आर.सी. कोड अनुसार क्रस्ट/पेवमेन्ट डिजाईन तथा मिक्स डिजाईन का परीक्षण शासकीय/मान्यता प्राप्त पालिटेक्निक/इंजीनियरिंग कॉलेज में कराया जाकर उसका अनुमोदन इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करें। अनुमोदित डिजाईन अनुसार कार्य कराए जाने पर कार्य की लागत में परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त की जावे। उक्त कार्य करवाने का दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा।
4. डब्ल्यू.बी.एम. (मेटल रोड) निर्माण के पूर्व मटेरियल का कलेक्शन इंद्राज माप पुस्तिका में कराना सुनिश्चित करें एवं मटेरियल की टेस्टिंग शासकीय इंजीनियरिंग/पालिटेक्निक कॉलेज या अन्य शासकीय संस्था से कराना सुनिश्चित करें।
5. तथ्यों को छुपाकर निजी/अवैध कालोनी में निर्माण करने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी, जिसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।
6. मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के अनुरूप सक्षम स्वीकृति प्राप्त करना, वयाना जमा, निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
7. निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे, अन्य विभाग की भूमि होने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी अनापत्ति अथवा हस्तारण की कार्यवाही की जावे। निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
8. भूमि विवाद की स्थिति में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ती ली जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
9. बड़ी परियोजना, एकमुश्त प्रोजेक्ट, समान स्वरूप के कार्य को विभाजित कर, पृथक-पृथक ली गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा इस तरह के कार्य को प्रस्तावित करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
10. निर्माण कार्य के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे।
11. समस्त प्रकार के रोड निर्माण में कॉमन यूटीलिटी डकट का प्रावधान अतिवार्य रूप से किया जावे।
12. उक्त तकनीकी स्वीकृति मूल कार्य के लिए प्रदाय की जा रही है, रिवाइज्ड/मॉन्टीमेंट्री कार्यों के लिए नहीं। तथ्यों को छुपाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
13. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रु. 1.00 लाख अथवा उतने अधिक के कराये जाने वाले कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहूत की जाना सुनिश्चित करें।
14. कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के किये जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म0प्र0न0पा0ले0नि0 1961 नियम के प्रावधानिक प्रारूप में इस कार्यालय को देना होगा। अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाता संभव नहीं होगा।
15. निःशक्त जनों के लिए बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। पैदल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात हेतु रोड सेफ्टी फीचर्स जैसे रोड साइनेज, टर्निंग प्वाइन्ट आदि लगाये जावे।
16. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। नजूल एवं अन्य विभागों से आवश्यक एन.ओ.सी./सहमति भी प्राप्त की जावे।

- 25.00 लाख ने अधिक होने पर स्थल पर प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से करवाया जाना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा।
21. निविदा शर्तों की पूर्ति की जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।
22. निविदा के दौरान सी.पी.इन्स्प.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन मुनिशियल किया जाये निर्माण कार्य के दौरान।
23. निविदा शर्तों का शासकीय प्रयोगशाला परीक्षण निर्धारित आवृत्ति अनुसार कराया जाये। साथ-साथ उक्त सन्ध में समय-समय पर रिपोर्ट एवं कंक्रीट की टेस्ट रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राप्त की जाये।
24. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 237 के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाये।
25. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार अनैस्ट मनी एवं प्रतिभूति राशि कार्य की प्रारम्भ की जमा कराई जाये।
26. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रण की शर्तों का पालन एम-20/30/40 कंक्रीट कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कंक्रीट हार्ड होने के पहले रोड की सेन्टरलाइन के परपेन्डिकुलर दोनों दिशा में 38 डिग्री सेन्टिग्रेड से अधिक होने की स्थिति में सीमेन्ट कंक्रीट का कार्य नहीं कराया जाये।
27. मौके की स्थिति अनुसार यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है तो निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम स्वीकृति सम्पन्न करवाये का ही भुगतान किया जाये।
28. निर्माण कार्य की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाये।
29. निर्माण कार्य निजी/अवैध कॉलोनी में नहीं किया जावेगा, यदि कार्य सम्पादित किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
30. कार्य टुकड़ों में/विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की शर्तों का पालन रोड की मिक्स एवं क्रूट डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से कराई जाकर तदनुसार निर्माण कार्य स्थल पर कराया जाये।
31. कार्य की लागत में बढ़ोत्तरी होती है, तो बड़ी हुई लागत की पुनरीधीत तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
32. निर्माण कार्य स्वयं के स्वामित्व/अधिपत्य की भूमि में किया जाये, निजी भूमि एवं अवैध कॉलोनी में निर्माण कार्य किये जाने पर तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर संबंधित विभाग की एन.ओ.सी. अथवा भूमि स्थान का पालन कराया जाये। शर्तों का पालन नहीं करने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा। स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
33. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का यदि अंतिम मूल्यांकन किये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में किसी भी प्रकार की विवेक मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
34. सी.सी. रोड़ निर्माण के दौरान Expansion, Contraction एवं Longitudnal Joints का प्रावधान अनिवार्य रूप से स्पेसिफिकेशन अनुसार किया जाये।
35. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का अंतिम मूल्यांकन करवाये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में अथवा निर्धारित डिजाईन नवीन/रिन्यूवल कार्य के रूप में कार्य लिए जाने पर किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने पर समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
36. निविदा आमंत्रण के पूर्व सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी।
37. निविदा आमंत्रण पूर्व NON SOR ITEM का अनुमोदन विस्तृत Rate Analysis प्रस्तुत कर संभागीय कार्यालय से प्राप्त किया जाये।
38. If paver with electronic sensor, vibratory roller are not used at site and laying, compaction is done by any other method, the above is as per UADD ISSR 08 11 2025.

संलग्न- प्राक्कलन।

नगरी  
नर्मदा

# Project Estimate

## Project Details

Estimation Number: ES-0318-26-0000000001

Work: W-17 Shyama Nagar Colony Me Mohan Rajput Ke Makan Se Guddu Dubey Ji Tak CC Road

ULB: 0318 (Harda Nagar Palika)

Demand ID: DM-0318-26-0000000001

Department: Public Works

PAC: 1347244.7

Project No.: PW1-EN2-0318-25-1138

Gross: 1589748.75

## Activity / SQR / NON SQR and WBS Details

WBS NO	SQR ITEM	Description	Count	Qty	Length	Breadth	Depth	Volume	Area	Weight	Quantity	Unit	Price/Unit	Amount Before GST	GST %	Total Amount	Remarks
1	NI-3.3	3.3 Excavation for roadwork in soil with hydraulic excavator including cutting and loading in tippers, trimming bot		1.0	150.0	5.0	0.4	300.0			300.0	M3	122.0	36,600.00	18.0	43,188.00	
1	NVI-4.1.1.1	Grading I		1.0	150.0	5.0	0.1	75.0			75.0	M3	1059.0	79,425.00	18.0	93,721.50	
1	NVI-6.3	Providing and Laying Cement Concrete Grade M-10 with 40 mm graded crushed stone aggregate,		1.0	150.0	5.0	0.1	75.0			75.0	M3	4598.0	344,850.00	18.0	406,923.00	
1	NVI-6.2.1	Dowel jointed, Plain Cement Concrete Pavement		1.0	150.0	5.0	0.2	150.0			150.0	M3	5916.0	887,400.00	18.0	1,047,132.00	
1	NVI-6.2.3	Dowel jointed, Plain Cement Concrete Pavement		1.0	150.0	5.0	0.2	150.0			150.0	M3	-301.0	45,150.00	18.0	53,277.00	
1	NVI-6.2.4.1	Mild Steel dowel bars confirming to IS 432, grade I		0.116							0.116	MT	57200.0	6,635.20	18.0	7,829.54	
1	NVI-6.2.4.2	HYSD tie bars of Fe 500 grade confirming to IS 1786		0.095							0.095	MT	63800.0	6,061.00	18.0	7,151.98	
1	NVI-8.6.1.4	60 cm equilateral triangle		2.0							2.0	EA	3393.0	6,786.00	18.0	8,007.48	
1	NVI-8.18	Road Marking with Hot Applied Thermoplastic Compound with Retro-Reflecting Glass Beads		2.5	150.0	0.15			22.5		56.25	M2	438.0	24,637.50	18.0	29,072.25	

## WBS Summary

WBS NO	WBS Text	Amount
1	W-17 Shyama Nagar Colony Me Mohan Rajput Ke Makan Se Guddu Dubey Ji Tak CC Road	1,347,244.70
	Total PAC	1347244.7

**GST: 242504.05**  
**Gross: 1589748.75**